

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-13-7/रा.स./यू.ए.1/05/53

राजभवन, भोपाल - 462 002
दिनांक 20 जनवरी, 2025

प्रति,

कुलगुरु,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकित संकायाध्यक्षों को संकायाध्यक्ष श्रेणी से विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है :-

1. प्रो. दिव्या चंसौरिया, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय
2. प्रो. जे.के. मैत्रा, संकायाध्यक्ष, गणितीय विज्ञान संकाय
3. प्रो. विशाल ओमप्रकाश बन्ने, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार


(सही/-)
राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ० क्रमांक/अका./2025/63
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

जबलपुर दिनांक 27/1/2025

1. प्रो. दिव्या चंसौरिया, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय।
2. प्रो. जे.के. मैत्रा, संकायाध्यक्ष, गणितीय विज्ञान संकाय।
3. प्रो. विशाल ओमप्रकाश बन्ने, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय
4. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण।
5. राज्यपाल के उप सचिव, राज भवन, म०प्र०, भोपाल 462 052
6. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
8. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
9. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें।
11. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
12. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर